न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
शौचालय मालिक (राजेश कुमार)

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस का प्रकार–

केस संख्या– **430/2020–21**,
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त शौचालय के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 204/म0नि0 एवं दिनांक–10.06.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 94/2020, में जप्त देशी शराब एवं जप्त शौचालय के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–सहरसा बस्ती वार्ड नं0 31, थाना–सदर, घटना की तिथि–13.02.2020 के साथ वर्णित है कि– "गुप्त सूचना के आधार पर अपने अधीनस्थ उत्पाद कर्मी व प्रतिनियुक्त सैफ व गृह रक्षक के साथ उपयुक्त अंकित स्थान पर लगभग सैवा पाँच बजे सुबह में उपस्थित गवाहो के समक्ष अपनी व अपने टीम के सभी सदस्यो की जमा तलाशी के उपरान्त कंडिका 2 में अंकित व्यक्ति के घर एवं परिसर के तलाशी के क्रम में अभियुक्त के कब्जे के शौचालय में कंडिका 3 से 5 में अंकित अ0चु0श0 बरामद हुआ। तत्पश्चात् बि0म0नि0 व उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(ए) के अन्तर्गत व्यक्ति को विधिवत गिरफ्तार किया गया। जप्त प्रदर्श का नमूना तैयार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के माँ को दी गई। जप्ती सूची की एक प्रति अभियुक्त को दिया गया, सारी कानूनी कार्रवाई घटना स्थल पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहो के समक्ष बि0म0नि0 व उत्पाद अधिनियम 30(ए) के अधीन सम्पन्न की गई।" प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त शौचालय के अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त शौचालय के अधिहरण के बिन्दु पर शौचालय मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। शौचालय मालिक राजेश कुमार, पिता– स्व0 सुरेश चौधरी,	

साकिन– सहरसा बस्ती वार्ड नं०– 31, थाना–सदर जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

शौचालय मालिक का कहना है कि वे निर्दोष हैं। उन्हें इस मामले में गलत रूप से फंसाया गया है। इस वाद में समर्पित उत्पाद विभाग का प्रस्ताव अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। जप्त शौचालय या उससे संबंधित जमीन का कोई स्पष्ट वर्णन या चौहद्दी प्रस्ताव/नोटिस में नहीं दिया गया है। इनके ओर से मुख्यतः इन्हीं तथ्यों के साथ वाद की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त शौचालय का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक मद्यनिषेध सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त शौचालय को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूंकि प्राप्त प्रस्ताव में जप्त परिसर के संबंध में स्पष्ट विवरणी नहीं दी गयी। अतः उक्त अधिहरण प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः, उक्त जप्त परिसर को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

Sd/- 16/12/2020
समाहर्त्ता
सहरसा।

Sd/- 16/12/2020
समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 118......./न्याया०, सहरसा, दिनांक 28.01.21.......

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Sd/- 28-01-21
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

28/01/21

03 पृ०